PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा/2018/1777

(3)

॥श्री॥

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:-

1- गोरीशंकर पिता पन्नालालजी जाति धाकड़ आयु52 वर्ष,
व्यवसाय कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील सिंगोली-
जिला नीमच(म0प्र0)

2- शिवलाल पिता गोरीशंकरजी जाति धाकड़ आयु22 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी उम्मेदपुरा तहसील सिंगोली
जिला नीमच(म0प्र0) ------- आवेदकगण (निगरानीकर्ता)

विरूद्ध

1- रतिराम पिता नन्दाजी जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष,
व्यवसाय कृषि निवासी खेड़ामनगीता तहसील सिंगोली

2- देऊबाई पति रतिरामजी जाति धाकड़ आयु 60 वर्ष,
व्यवसाय कृषि व ग्रहकार्य निवासी खेड़ामनगीता -
तहसील सिंगोली जिला नीमच(म0प्र0)

3- हीरालाल पिता नन्दाजी जाति धाकड़ आयु 75 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी खेड़ामनगीता तहसील सिंगोली
जिला नीमच(म0प्र0)

4-बरजीबाई पति देरामजी जाति धाकड़ आयु80 वर्ष,
व्यवसाय ग्रहकार्य निवासी खेड़ामनगीता तहसील सिंगोली
जिला नीमच(म0प्र0) ------- अनावेदक:विपक्षीगण:

निगरानी आवेदनपत्र:- अन्तर्गत धारा50 म0प्र0 भु0रा0संहिता1959::

श्रीमान महोदय,

सेवामें प्रार्थी- निगरानीकर्ता गण की ओर से निगरानी-

आवेदनपत्र निम्नानुसार पेश है:-

:1: यह कि विपक्षीगण, अनावेदकगण ने एक संयुक्त आवेदनपत्र -

अन्तर्गत धारा131 तथा धारा32 म0प्र0 भु0रा0सं0 1959 का योग्य अधिनस्थ- न्यायालय तहसीलदार तहसील सिंगोली जिला नीमच(म0प्र0) के समक्ष- निगरानीकर्तागण, आवेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक- 2/अ-13/17-18 पर दर्ज होकर अंतरिम आवेदनपत्र धारा32 म0प्र0 भु0रा0सं0 का जबाब एवं स्थल निरिक्षण तथा तर्क श्रवण करने के पश्चात् आदेश- दिनांक26-2-18 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम आदेश- विपक्षीगण :अनावेदकगण: के पक्ष मे स्वीकार करते हुऐ आदेशित किया - गया कि निगरानीकर्ता की भुमि सर्वेनंबर 417/1 प्र0 की रकबा1.500 हेक्टर की मौजा ग्राम खेड़ामगोरता की भुमि के उत्तरी सीमा से पश्चिम मे- सिंगोली- नीमच मार्ग से लेकर पुर्व मे विपक्षीगण की भुमि तक प्रश्नाधिन- रास्ते के अवरोध हटाकर मार्ग खुला किये जाने बाबत् आदेश दिया गया । उक्त आदेश दिनांक26-2-18 से दु:खित एवं असन्तुष्ट होकर यह निगरानी- आवेदनपत्र श्रीमान के न्यायालय मे समयावधि मे प्रस्तुत है।

::प्रकरण के तथ्य::

:2: यह कि अनावेदकगण रघिराम वगैराह ने तहसीलदार सिंगोली के समक्ष म0प्र0 भु0रा0सं0 की धारा131 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत करके

गौरीशंकर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी /नीमच/भूरा/18/1777

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील सिंगोली जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-2-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक का म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर स्थल निरीक्षण उपरांत अभी केवल अंतरिम रूप से प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का आदेश दिया है। जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रकरण में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है जिसमें आवेदक को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है। अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	